मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 225/2023

1. महेन्द्र सिह पुत्र नोरंगसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र सिह पुत्र नोरंगसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादीगण

बनाम

1. धमेन्द्र सिह पुत्र नोरंगसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलदेव कौर उर्फ बलवीर कौर पत्नी नोरंगसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. हरमनजीत कौर पुत्री नोरंगसिह पत्नी अमरजीत सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां हाल काहनसिह वाला तहसील नथाना जिला बठिण्डा।
4. बलौर कौर पुत्री करतारसिह जाति जटसिख निवीस बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 15.2.2024

वादीगण की ओर से श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र पाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित

(क).वादी संख्या 1 महेन्द्रसिह को प्राप्त कृषि भूमिः–चक नंम्बर 650 आरडी के खाता संख्या 104 में कुल 0.506 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 धर्मेन्द्रसिह का 4/15 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 147 में कुल 2.404 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

धर्मेन्द्रसिंह का 1/20 हिस्सा, चक नम्बर 650 आर.डी. के खाता संख्या 92/90 में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मेन्द्रसिंह के नाम 2.530 हैक्टर में से प0न0 226/306 (22) किला नम्बर 2/1 व 2/2 कुल 0.253 हैक्टर मय गै0मु0

(ख).वादी संख्या 2 राजेन्द्रसिंह को प्राप्त कृषि भूमि:- चक नम्बर 650 आर डी के खाता संख्या 147 में कुल 2.404 हैक्टर में से प्रतिवादीया संख्या 2 बलदेवकौर उर्फ बलवीरकौर का 1/20 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 104/102 में कुल .506 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 बलदेवकौर उर्फ बलवीरकौर का 1/5 हिस्सा एंव चक नम्बर 644 आरडी के खाता संख्या 74 में कुल 4.048 हैक्टर में से प्रतिवादीया संख्या 2 बलदेवकौर उर्फ बलवीर कौर का 1/5 हिस्सा, चक नम्बर 650 आरडी के खाता संख्या 147 में कुल 2.404 हैक्टर में प्रतिवादीया संख्या 3 हरमनजीत कौर का 1/20 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 147 में कुल 2.404 हैक्टर में से प्रतिवादीया संख्या 4 बलौर कौर का 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 650 आरडी के खाता संख्या 147 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 धर्मेन्द्रसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 बलवीरकौर, प्रतिवादी संख्या 3 हरमनजीत कौर, प्रतिवादीया संख्या 4 बलौर कौर का नाम कलमजन तथा इसी चक के खाता सं0 104 में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मेन्द्रसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 बलदेवकौर का नाम कलमजन तथा चक नम्बर 644 आरडी के खाता संख्या 74 में प्रतिवादी संख्या 2 बलदेवकौर का नाम कलमजन किया जावे तथा चक नं0 650 आरडी के खाता संख्या 92 में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मेन्द्रसिंह का हिस्सा किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 15.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner